संघे शक्ति कलयुगे

मध्यप्रदेश पटवारी संघ तहसील लखनदोन जिला सिवनी

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

पंजीयन क्र. 3473 दि. 12.11.73 एवं शासन से मान्यता प्राप्त दि. 16.11.96

अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
महेश ककोडिया	राजेश सय्याम	संदीप मुरापे
मो. 8319856832	9669171693	मो. 7509345438

संरक्षक
जयपाल धुर्वे
अजय श्रीवास्तव

कार्यवाहक अध्यक्ष
विजेंद्र श्रीवास्तव

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
साहबलाल डेहरिया
प्रद्युम्न यादव

सहसचिव
मेघा सोनी

संगठन मंत्री
अभिषेक चौबे

मण्डल अध्यक्ष
राहुल राजपूत
मीना सोनी
राहुल चौहान

मार्गदर्शक
कुंजभवन हनवत
कृष्ण बिहारी ककोडिया

मिडिया प्रभारी
पवन श्रीवास्तव

प्रवक्ता
जितेंद्र ठाकुर
जिनेन्द्र सोलंकी
मुकुंद डेहरिया

प्रचार मंत्री

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय जी

तहसील- लखनादौन जिला सिवनी।

विषय - फॉर्मर रजिस्ट्री एवं आधार ROR लिंकिंग में आ रही समस्याओं और प्रदेश स्तर पर हो रहे फॉर्मर रजिस्ट्री के अनुपातिक कार्य के संबंध में जिला सिवनी के पटवारियों को दिए जा रहे अनुचित दवाब के संबंध में।

महोदय जी,

1. फॉर्मर रजिस्ट्री में कार्य पूरे जिला में हितबद्ध खातेदारों द्वारा स्वयं एमपी एग्री स्टैक वंबसाईट के माध्यम से, सी.एस.सी. सेन्टर, गिरदावरी सहायक द्वारा सहायक ऐप के माध्यम से एवं पटवारियों द्वारा अपनी आई. डी. से कार्य किया जा रहा है। दिनांक 25/02/2025 की स्थिति में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में उक्त संबंध में हुए कार्य की प्रगति 59.08 जबकि जिला सिवनी की प्रगति 65.24 प्रतिशत है, जबकि प्रदेश के अन्य जिले में रिपोर्ट के आधार पर प्रगति 41.67 प्रतिशत तक है।

प्रदेश के ज्यादातर पटवारियों को शासन द्वारा देय मोबाईल अभी तक प्राप्त नहीं है। एवं जो पूर्व में दिये गए हैं। ज्यादातर खराब हो चुके हैं।

उक्त कार्य में आने वाली सबसे बड़ी समस्या सर्वर की समस्या है, जिसमें एक ही आई डी बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ज्यादातर समय ओ.टी.पी. नहीं आती है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का परिमाण बहुत कम है, जिससे संबंधित वेबसाईट या ऐप अच्छे से कार्य नहीं करता है।

जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खातेदार सहखातेदार मजदूरी हेतु ग्राम से पलायन करते हैं। जिस कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता है। सिवनी जिला में यह संख्या बहुत ज्यादा है। अतः प्रगति का प्रतिशत प्रभावित होता है।

कुछ खातेदार/सहखातेदारों के मोबाईल से आधार लिंक नहीं है, या जो मोबाईल नंबर आधार से लिंक है, वह बंद होकर किसी और को अलॉट हो चुका है। इससे भी आधार सत्यापन प्रभावित होता है। और प्रगति का प्रतिशत प्रभावित होता है।

पटवारियों द्वारा लगातार कृषकों को कोटवार द्वारा मुनादी के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा लगातार जानकारी दी गयी है, एवं वर्तमान में भी दी जा रही है। अतः प्रगति के लिए सिर्फ पटवारी जिम्मेदार नहीं है। खातेदार/सहखातेदार अन्य माध्यमों से भी फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने हेतु स्वतंत्र हैं।

चंद्रकांत तिवारी
श्रुति बघेल
★
सदस्यागण
विष्णु टेकाम
शीला परते
शुभम दुवेदी
भुवनपाल बघेल
रामप्रसाद सय्याम

2. खसरा आधार ROR लिंकिंग में भी जिला के पटवारियों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, लेकिन सर्वर नेटवर्क की समस्या के कारण उक्त कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है।
उक्त कार्य वेबजीआईएस वेबसाईट के माध्यम से किया जा रहा है। जो खातेदार सहखातेदार द्वारा स्वयं की पब्लिक आई डी बनाकर या सी.एस.सी. सेन्टर के माध्यम से किया जाता है। पटवारी आई.डी. से भी उक्त कार्य किया जाता है।
उक्त कार्य में किए गए कार्य और प्रगति रिपोर्ट में विसंगति इस प्रकार है, कि यदि किसी खाता में 10 सहखातेदार हैं, और 8 सहखातेदारों की खसरा आधार ROR लिंकिंग हो चुकी है। तो भी पूर्ण सहखातेदारों की सत्यापन न होने पर 1 भी अंक प्रगति में नहीं बढ़ता है। पूरी संख्या पेंडिंग दिखाई देती है। अतः किया गया कार्य प्रगति में नहीं दिखाई देता है। सिर्फ यदि किसी खाता में सभी खातेदारों के सत्यापन होने पर ही प्रगति दिखाई देती है।
इसी के साथ किसी खाता में खसरा आधार ROR लिंकिंग होने के बाद यदि उसका परिमार्जन होता है, या किसी भी प्रकार नामांतरण होता है। तो पूरी खसरा आधार ROR लिंकिंग शून्य हो जाती है। जबकि सिर्फ नये खातेदार खसरा आधार ROR लिंकिंग पेंडिंग होना चाहिए। इस प्रकार कई बार 1 ही हितबद्ध पक्षकार की बार बार खसरा आधार ROR लिंकिंग करना होता है।
इसी के साथ शहरी क्षेत्रों में जिस खाता 30 40 या बहुसंख्या में हितबद्ध खातेदार 1 ही खाता में हैं, जिसमें क्रय विक्रय स्वाभाविक है। 1 भी नामांतरण होने पर किया गया पूर्ण कार्य प्रगति के हिसाब से व्यर्थ हो जाता है। और पुनः सभी हितद्धपक्षकारों को ढूंढ़कर उक्त कार्य कराया जाना पड़ता है।
उक्त कार्य में आने वाली सबसे बड़ी समस्या सर्वर की समस्या है, जिसमें एक ही आई डी बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ज्यादातर समय ओ.टी.पी. नहीं आती है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का परिमाण बहुत कम है, जिससे संबंधित वेबसाईट या ऐप अच्छे से कार्य नहीं करता है।
जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खातेदार सहखातेदार मजदूरी हेतु ग्राम से पलायन करते हैं। जिस कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो पाता है। सिवनी जिला में यह संख्या बहुत ज्यादा है। अतः प्रगति का प्रतिशत प्रभावित होता है।
कुछ खातेदार/सहखातेदारों के मोबाईल से आधार लिंक नहीं है, या जो मोबाईल नंबर आधार से लिंक है, वह बंद होकर किसी और को अलॉट हो चुका है। इससे भी आधार सत्यापन प्रभावित होता है। और प्रगति का प्रतिशत प्रभावित होता है।
पटवारियों द्वारा लगातार कृषकों को कोटवार द्वारा मुनादी के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा लगातार जानकारी दी गयी है, एवं वर्तमान में भी दी जा रही है।
अतः प्रगति के लिए सिर्फ पटवारी जिम्मेदार नहीं है। खातेदार/सहखातेदार अन्य माध्यमों से भी खसरा आधार ROR लिंकिंग हेतु स्वतंत्र हैं।
3.गिरदावरी के लिए गामीण क्षेत्रों में गिरदावरी सर्वेयर शासन दवारा नियुक्त किये गए हैं, पटवारी उनके द्वारा किये गए कार्य का सत्यापन कर रहे हैं।

गिरदावरी हेतु सभी पटवारियों द्वारा ग्राम सर्वेयर को पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है।

4.साथ ही कुछ पटवारी साथी परीक्षा में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में सुबह 6 से 10 बजे तक कार्य कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों के बाद भी पटवारी द्वारा सभी क्षेत्रों में सभी कार्यों को लगातार किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

उक्त परिस्थितियों को लेकर पटवारी संघ जिला सिवनी द्वारा माननीय कलेक्टर महोदया जिला सिवनी के समक्ष अपनी समस्याओं को अवगत कराने उपस्थित हुए, जिसमें कलेक्टर महोदया द्वारा बार बार किसी भी बात को सुनने से इंकार किया गया। लेकिन इंकार कर कर के भी कुछ बातों को सुनकर असंवेदनशील तरीके से नकार दिया गया। एवं यह कहा गया कि अगले सोमवार तक जब तक प्रगति नहीं आती बातें नहीं सुनीं जाएंगी। आप चाहें तो हड़ताल कर सकते हैं। जबकि पटवारी संवर्ग इन कार्यों के अतिरिक्त नामांतरण बंटवारा गिरदावरी सत्यापन एवं अन्य विभागीय मूल कार्यों में भी अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं। अतः उक्त सभी बातों को लेकर जिला और विभाग के मुखिया के व्यवहार से व्यथित होकर सभी पटवारी साथियों द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित समस्याओं के वाबजूद यदि फॉर्मर रजिस्ट्री खसरा आधार ROR लिंकिंग की आंकिक प्रगति के आधार पर जिला के किसी भी पटवारी साथी पर कार्यवाही न की जाए।

किसी भी प्रकार दवाब बनाया जाकर कार्यवाही किये जाने पर जिला के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हेतु बाध्य होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन जिला सिवनी की होगी।

दिनाँक-28/02/2025

तहसील अध्यक्ष
म.प्र.पटवारी संघ शाखा-लखनादौन

प्रतिलिपि-1.श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व लखनादौन।
2 .श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सिवनी।
3.श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय म.प्र पटवारी संघ शाखा-सिवनी।
4.श्रीमान प्रांताध्यक्ष महोदय म.प्र.पटवारी संघ भोपाल(म.प्र.)।